



प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत विभिन्न मण्डलों के कतिपय जनपदों के कुल 16 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत विभिन्न मण्डलों के कतिपय जनपदों के कुल 16 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार ₹० 11303.50 लाख (रूपये एक सौ तेरह करोड़ तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23111/CE-SEB/RVB/GK P/2026-27 Dt- 24-06-2026	सेतु निगम महाराजगंज	जनपद महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विकास खण्ड के ग्राम पंचायत सेमरहवा में रोहिन नदी पर पक्का सेतु निर्माण कार्य।	167/2026/आई/1284914/2026/23-6099(099)/27/2026-दिनांक-30-03-2026	2680.62 2680.17 0.00 2680.17	938.22	1741.95	739.10	198.96	938.06
2	तदैव	सेतु निगम कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में सिकटिया-बटोलवा घाट (छोटी गंडक) नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	107/2026/आई/1270143/2026/23-6099/76/2026-दिनांक-18-03-2026	1924.73 1924.11 0.00 1924.11	673.66	1250.45	758.01	204.05	962.06
3	तदैव	सेतु निगम देवरिया	जनपद देवरिया में कंचनपुर-बघौचघाट पक्का मार्ग के किमी-15 में खनुआ नाला पर स्थित संकरे पुल के समानांतर नये पुल का निर्माण कार्य।	107/2026/आई/1270143/2026/23-6099/76/2026-दिनांक-18-03-2026	2395.77 2395.43 0.00 2395.43	838.52	1556.91	943.68	254.04	1197.72
4	तदैव	सेतु निगम देवरिया	जनपद देवरिया में विकास खण्ड बरहज के अन्तर्गत ग्राम भदिला अक्वल के निकट सेतु पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	186/2026/आई/1285695/2026/23-6099(099)/28/2026-दिनांक-31-03-2026	3130.65 3124.10 14.05 3110.05	1095.73	2014.32	857.64	230.88	1088.52
5	तदैव	सेतु निगम देवरिया	जनपद देवरिया में विकास खण्ड-सलेमपुर में नवलपुर-मझौली (गण्डक नदी) पर पीपा पुल के स्थान पर दीर्घा सेतु पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	192/2026/आई/1285713/2026/23-6099/6/2026-दिनांक-31-03-2026	3666.84 3665.29 0.00 3665.29	1283.39	2381.90	1010.76	272.09	1282.85

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	23246/CE-SEB/RVB/BAR/2026-27 Dt- 25-06-2026	सेतु निगम बरेली	जनपद बरेली में तहसील व ब्लाक फरीदपुर के अन्तर्गत टिसुआ एवं ग्राम हसनगंज के मध्य कैलाश नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक का निर्माण।	105/2026/आई/2022691/2026/23-6099/74/2026-दिनांक-18-03-2026	1763.23 1577.48 0.00 1577.48	617.13	960.35	435.02	117.10	552.12
7	तदैव	सेतु निगम बरेली	जनपद बरेली में तहसील मीरगंज में सिधौली -नरखेड़ा मार्ग पर भाखड़ा नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	105/2026/आई/2022691/2026/23-6099/74/2026-दिनांक-18-03-2026	1481.50 1472.94 0.00 1472.94	518.53	954.41	406.19	109.34	515.53
8	तदैव	सेतु निगम बरेली	जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के विकास खण्ड भदपुरा क्षेत्र में ग्राम नकटपुर और नहरपुर गौरीखेड़ा के बीच पनथेली नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	105/2026/आई/2022691/2026/23-6099/74/2026-दिनांक-18-03-2026	1274.13 1267.47 19.80 1247.67	445.95	801.72	344.06	92.62	436.68
9	23246/CE-SEB/RVB/BAR/2026-27 Dt- 25-06-2026	प्रा.ख. बरेली	जनपद बरेली में विकास खण्ड दमखोदा में ग्राम खिरना में दमखोदा नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	110/2026/आई/1271358/2026/23-6099/10/2026-दिनांक-18-03-2026	854.58 854.58 1.49 853.09	1.96	851.13	336.08	90.47	426.55
10	तदैव	प्रा.ख. बरेली	जनपद बरेली के विकास खण्ड बिथरी चैनपुर के ग्राम अधकटा बुनियादी बेगम म्यूटी रानी मेवा म्यूडी रानी मेवा कुंवर के मध्य छोटी बहगुल नदी पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	110/2026/आई/1271358/2026/23-6099/10/2026-दिनांक-18-03-2026	646.36 646.36 1.01 645.35	1.25	644.10	254.24	68.44	322.68
11	23245/CE-SEB/RVB/BAN/2026-27 Dt- 25-06-2026	प्रा.ख. चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में कंठीपुर से कोटा सम्पर्क मार्ग में 3x5.00 मी0 स्पान का आर.सी.सी. लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	78/2026/आई/1263768/2026/23-6099/85/2026-दिनांक-12-03-2026	109.73 109.73 0.87 108.86	1.36	107.50	80.37	21.64	102.01
12	23112/CE-SEB/RVB/LKO/2026-27 Dt- 24-06-2026	सेतु निगम हरदोई	जनपद हरदोई के विधानसभा सवायजपुर के अन्तर्गत ग्राम सिमरिया - अलियापुर - बानामउ बेहटा अरकल मार्ग पर गम्भीरी नदी पर प्रस्तावित सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	109/2026/आई/1271406/2026/23-6099/77/2026-दिनांक-18-03-2026	1333.46 1333.46 NIL 1333.46	466.71	866.75	525.32	141.41	666.73
13	तदैव	सेतु निगम हरदोई	जनपद हरदोई के विधानसभा क्षेत्र शाहबाद के अन्तर्गत शाहबाद - साण्डी प्रमुख जिला मार्ग 107 सी पर कस्बा शिरोमन नगर में सुखेता नदी पर जर्जर सेतु के सामानान्तर प्रस्तावित सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण कार्य।	109/2026/आई/1271406/2026/23-6099/77/2026-दिनांक-18-03-2026	1564.40 1365.02 0.00 1365.02	547.54	817.48	537.75	144.76	682.51
14	तदैव	सेतु निगम हरदोई	जनपद हरदोई के विधानसभा क्षेत्र शाहबाद के अन्तर्गत ग्राम परियल के परियल घाट एवं ग्राम इतौरा शाहजहांपुर के मध्य गर्ग नदी पर प्रस्तावित सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	172/2026/आई/1285102/2026/23-6099/7/2026-दिनांक-31-03-2026	4799.49 4799.49 NIL 4799.49	1679.82	3119.67	1323.53	356.29	1679.82

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15	23114/CE-SEB/RVB/VNS /2026-27 Dt- 24-06-2026	सेतु निगम जौनपुर	जनपद जौनपुर में गोमती नदी पर प्यारेपुर से अलीगंज बाजार के निकट कलीचाबाद पर सेतु पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	86/2021/405/23-10-21-91(सेतु)/2020-दिनांक-10-09-2021	2993.31 2993.24 0.00 2993.24	2843.58	149.66	117.92	31.74	149.66
16	23248/CE-SEB/RVB/VNS /2026-27 Dt- 25-06-2026	नि.ख.-3 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में बहोरा टप्पा सम्पर्क मार्ग के किमी-2 में ध्वस्त लघु सेतु के स्थान पर 1x10 मी० स्पान के नये सेतु के निर्माण कार्य।	331/2025/आई/1137725/2025/23-4099/12/2025-ई-1978170-दिनांक-10-11-2025	761.39 761.39 8.50 752.89	28.42	724.47	236.37	63.63	300.00
कुल योग								8906.04	2397.46	11303.50

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। **वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।**

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 89,06,04,000 (रुपये नवासी करोड़ छह लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

रुपये 23,97,46,000 (रुपये तेईस करोड़ सत्तानबे लाख छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।